



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1002]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 15, 2017/अग्रहायण 24, 1939

No. 1002]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 15, 2017/AGRAHAYANA 24, 1939

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 1516(अ).—केन्द्रीय सरकार खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 91 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में अर्हता से संबंधित नियम 2.1.2 (क) के उपनियम 1 में—
(अ) खंड (i) में “और” से आरंभ होकर “उपाधि होगी” तक का लोप किया जाएगा;
(आ) इस प्रकार संशोधित खंड (i) के पश्चात निम्नलिखित खंड का अन्तः स्थापन किया जायगा, अर्थातः—
“(क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्र के उप-खंड अधिकारी को पदाभिहित अधिकारी के रूप में अतिरिक्त प्रभार के आधार पर नियुक्त कर सकेगा।”
(इ) खंड (ii) अंत में निम्नलिखित को उपबंध अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—
“परंतु यह कि खंड (i) के अधीन को पदाभिहित अधिकारी के रूप में नियुक्त क्षेत्र का उपखंड अधिकारी को ऐसे प्रशिक्षण लेने की अपेक्षा नहीं होगी।”

(ख) शक्ति और कर्तव्य से संबंधित उपनियम 2 में खंड (ii) के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

(ii)क) जहां कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे, वहां वह खंड (ii) के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को किसी अपर कलक्टर या अपर जिला मजिस्ट्रेट या उस क्षेत्र के उपखंड अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

[फा. सं. पी. 15025/242/2015-एफआर]

सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 362(अ), दिनांक 5 मई, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 57(अ), दिनांक 13 जनवरी, 2017 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2017

G.S.R. 1516(E).—In exercise of the powers conferred by section 91 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Food Safety and Standards Rules, 2011, namely:—

1. (1) These rules may be called the Food Safety and Standards (Second Amendment) Rules, 2017.
(2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Food Safety and Standards Rules, 2011 (hereinafter to be referred as the said rules), in rule 2.1.2, (a) in sub-rule 1 relating to qualification—
 - (A) in clause (i), the portion beginning with “and shall possess” and ending with “under these rules” shall be omitted;
 - (B) after clause (i) as so amended, the following clause shall be inserted, namely:—
“(ia) The commissioner of Food Safety may with the previous approval of the State Government, appoint Sub-Divisional Officer of the area on additional charge basis as Designated Officer.”
 - (C) in clause (ii), at the end, the following proviso shall be inserted, namely:—
“Provided that Sub-Divisional Officer of the area appointed as Designated Officer under clause (i) shall not require to undergo such training.”;
- (b) in sub-rule 2 relating to powers and duties, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:—
(iia) “Where the Collector or District Magistrate considers necessary, he may delegate the powers exercisable by him under clause (ii) to an Additional Collector or Additional District Magistrate or a Sub-Divisional Officer of the area.

[F. No. P.15025/242/2015-FR]

SUDHIR KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 362(E), dated the 5th May, 2011 and last amended *vide* notification number G.S.R. 57(E), dated the 13th January, 2017.